तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5385/2004/अलवर रामसिंह बनाम रामकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी

श्री माधवराजसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12—7—2024

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15—10—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी खारिज किया है।

3— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत् प्रस्तुत किया। उक्त वाद का जबाव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है एवं विवादित आराजी पर उनका कब्जा है । चूंकि कब्जे के बारे में दोनों पक्ष अपना होना जाहिर कर रहे हैं। अतः प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त किए जाने बाबत् प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे निर्णय दिनांक 15—10—2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी ग्राम हटूण्डी के खसरा नंबर 665 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा पर काबिज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति नहीं देना अंकित कर खारिज कर दिया। न्यायालय के सामने सही व स्पष्ट स्थिति ज्ञात करने और समानता का न्याय प्राप्त करने हेतु उक्त प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जिसे खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

5— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि वाद का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों व विधिक रूप से किया जाना है न कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर। कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5385/2004/अलवर रामसिंह बनाम रामकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी दावे का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है न ही साक्ष्य एकत्रित करने की गरज मौका कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है। मात्र प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। निगरानी माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य अनुतोष यह था कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा पूर्व में प्रस्तुत एक वाद में स्थगन जारी किया हुआ है। अतः मौका जांच रिपोर्ट मंगाई जावे जिससे वास्तविक तथ्य सामने आ सके। इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके की वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया है जो स्पष्ट रूप से कब्जे के बाबत रिपोर्ट से संबंधित है।

8– आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता मूलतः इस प्रकार हैः–

"Order 26 Rule 9- Commission to make local investigations- In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the Court:

Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules."

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा किसी एक पक्षकार को अपने पक्ष में सबूत एकत्रित करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में 1998(2) डब्ल्यू.एल.सी. (राज0) पृष्ठ 396 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि भूखण्ड पर आधिपत्य के विनिश्चय हेतु कि कौनसा पक्ष आधिपत्य में है– जब लिखित कथन प्रस्तुत हो चुका हो तो विवादित बिन्दुओं पर विवाद्यक की विरचना कर, पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित कर निर्णय किया जा सकता है । इस निमित्त कमिश्नर की सहायता न आवश्यक है और न ही न्यायसंगत । राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया हुआ है कि सीपीसी के प्रावधानों के तहत वस्तुस्थिति की जानकारी , वस्तु की कीमत, मेन्सप्रोफिट की राशि, क्षति और वार्षिक लाभ की जानकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5385/2004/अलवर रामसिंह बनाम रामकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर न्यायालय कमिश्नर नियुक्त कर सकता है **लेकिन राजस्व संबंधी प्रकरणों में कब्जे बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है।** इस संबंध में डी.एन.जे. 2013 पेज 1486(राज), में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि मौका निरीक्षण करने हेतु कमिश्नर नियुक्त करने के आवेदन–कब्जे के तथ्य को साबित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता ए.आई.आर. 2023 एम.पी. पृष्ठ 35 के पैरा नं0 9 पर भी यह मत प्रतिपादित किया है कि– "From the plain reading of this application it is clear that by appointing a local commissioner, the petitioner wants to collect the evidence. It is well established principle of law that by appointing a local commissioner, evidence cannot be collected." ए.आई.आर. 2022 एच.पी. पृष्ठ 133 पर भी यह मत प्रतिपादित किया है कि– "5. For coming to this conclusion, the learned Court below relied upon the judgment rendered by this Court in Pawan Kumar v. Pardeep Kumar LHLJ 2015 (HP) 998: (2015 AIR CC 2881 (HP)). In addition thereto, the learned Court below had also relied upon the judgement rendered by this Court in Diwakar Dutt vs. Ranjit Singh 1997 () SLJ 242 to hold that when suit has been filed on the premises that respondent has made an encroachment, re- course cannot be had to the appointment of Local Commissioner for demarcating the suit land and it has to be established by the applicant by leading independent evidence. 6. To similar effect, reliance was also placed upon yet another judgment rendered by this Court in Jeet Ram v. Sita Ram 2002 HLJ 1172. 7. Lastly, the learned Court below had also placed reliance upon the judgment rendered in CMPMO No. 272 of 2019, titled as Ram Nath and Anr. v. Kuldeep Singh and Ors., decided on 25.06.2019: (Reported in AIR Online 2019 HP 1498), wherein it was reiterated that when a party intend to prove encroachment on the part of other party, the burden to prove the same lies upon him and the applicant cannot be permitted to have appointed a Local Commissioner simply because he has not been able to lead cogent evidence to prove	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5385/2004/अलवर रामसिंह बनाम रामकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

his case."

9— इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है—

"230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit."

उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की है तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें केवल यही देखना होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटि की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

10— उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य